(54)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2599–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर प्रकरण कमांक 22/14–15/अपील.

---

1– कैलाशचन्द्र शर्मा
2– प्रेमनारायण
3– राजेन्द्र प्रसाद
4– दामोदर पुत्रगण लालाराम
निवासीगण ग्राम जारगा
तहसील व जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1– हरिबल्लभ
2– नारायण पुत्रगण लालाराम
निवासीगण ग्राम जारगा
तहसील व जिला ग्वालियर
3– श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व. हरचरण
4– महेश
5– मोहन
6– संतोष
7– सुदाम पुत्रगण स्व. हरचरण
निवासीगण ग्राम जारगा
तहसील व जिला ग्वालियर
8– श्रीमती गीता पत्नी रमाकांत पुत्री हरचरण
निवासी ग्राम पिपरौली
तहसील गोहद जिला भिण्ड

.....अनावेदकगण

---

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष नामांतरण पंजी कमांक 49/27–10–85 पर पारित आदेश दिनांक 12–10–86 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 13–8–10 को प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 206/अपील/2009–10 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अभिभाषक श्री भारद्वाज का निधन हो जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 31–10–11 की तिथि नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय तक निगरानी प्रचलित रही है, और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2–2–2016 को आदेश पारित कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया कि सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जाये तत्पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाये । इस न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–7–16 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी वर्ष 1995 से ही थी, और उनकी ओर से तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी का दिनांक 4–8–2010 को होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा वर्ष 1986 में सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अत्यधिक विलम्ब लगभग 24 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, अतः बिना समाधान कारक कारण के अत्यधिक विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिनमें प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना चाहिए परन्तु अनावेदक कमांक 1 व 2 की ओर से प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि नामांतरण पंजी एवं शपथ पत्र पर अनावेदक कमांक 1 व 2 के हस्ताक्षर नहीं हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे में अनावेदक कमांक 1 व 2 को 7 बीघा भूमि प्राप्त होना चाहिए थी, जबकि केवल 5 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई है। इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश होकर क्षेत्राधिकार रहित है, जिसमें समय–सीमा लागू नहीं होती है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में कार्यवाही किया जाकर अपने आदेश में विस्तृत कारण दर्शाते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण को बैंक लोन के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । वैसे भी प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, अतः आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, वे तर्क अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण के गुण–दोष पर निराकरण के समय प्रस्तुत कर सकते हैं । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर